न्यायालय तहसीलदार कुम्हेर (भरतपुर)

प्रकरण संख्या 16/16 — *निर्णय दिनांक : 12.04.17*

अन्तर्गत धारा 90ए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

पटवारी हल्का बाबैन

बनाम

श्री भूपसिंह पुत्र हुक्मी, बलवीरसिंह, जवाहरसिंह, बनयसिंह पि0 श्माम जाति जाट निवासी बौरई

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवार हल्का बाबैन द्वारा इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि **श्री भूपसिंह पुत्र हुक्मी, बलवीरसिंह, जवाहरसिंह, बनयसिंह पि0 श्माम जाति जाट निवासी बौरई** द्वारा अपनी खातेदारी की आराजी खसरा न0 297 रकबा 0.30 है0 अज किस्म चाही 3 वाके ग्राम बौरई में से 600 वर्गफुट(0.01 है0) पर बिना अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कराये दुकान बना ली हैं। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 90 ए के तहत जारी किया गया। जिसकी उन्है विधिवत तामील हो चुकी है। गैरसायलान के वकील उपस्थित। जिसके द्वारा जबाब पेश किया गया। जो सन्तोषप्रद नहीं है। गैरसायलान को बार–बार नोटिस जारी होने के बावजूद भी गैरसायलान द्वारा अवैध निर्मित क्षेत्र को खाली नहीं किया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य असालतन व वकालतन पेश किया गया है, जिसके आधार पर गैरसायलान को किसी प्रकार का अनुतोश दिया जा सके।

अतः आदेश है कि खातेदारी की आराजी खसरा न0 297 रकबा 0.30 है0 अज किस्म चाही 3 वाके ग्राम बौरई में से 600 वर्गफुट(0.01 है0) पर बिना अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कराये दुकान बने क्षेत्र से गैरसायलान **श्री भूपसिंह पुत्र हुक्मी, बलवीरसिंह, जवाहरसिंह, बनयसिंह पि0 श्माम जाति जाट निवासी बौरई** को बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 0.14 रूपये का 50 गुना पेनल्टी 7 रूपये आरोपित की जाती है। मतालवा तहसील राजस्व लेखाकार को कायम कराया जावे। पटवारी हल्का /भू अभिलेख निरीक्षक को वास्ते बेदखली व वसूली लिखा जावे। पटवारी हल्का आर.टी.ए. 1955 की धारा 175 व 177 के तहत् भूमि सिवायचक करने के प्रस्ताव पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

तहसीलदार
तहसील–कुम्हेर (भरतपुर)

रा. नै. न. 4 दर्ज 20.12.18 ... पृष्ठ संख्या 8 ... पर ... 2 की कार्यवाही की गई।

दिनांक.....17.....माह.....10.....सन् 2016.....
उद्योग स्वीकार है :–